(456)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27.04.2022

क्रमांक/एफ 16-04/1991/10-2 :: राज्य शासन एतद्द्वारा जन सहभागिता से वनों के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन का समसंख्यक संकल्प 2021 दिनांक 11 मार्च, 2022 को निरस्त करता है।

2/ वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य शासन के समसंख्यक संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की कण्डिका 11.1.3 को प्रतिस्थापित करते हुये राज्य शासन के काष्ठ के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने के निर्णय को वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त संकल्प में समाविष्ट किया जाता है।

3/ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों का विनिश्चयन करते हुए वन प्रबंधन का अधिकार समुदाय/ग्राम सभा को जिन स्थानों पर दिया जाता है उन स्थानों पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

27/4/22
(पद्मप्रिया बालाकृष्णन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 16-04/1991/10-2 भोपाल, दिनांक 27.04.2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।

(45-2)

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु.वि./लो.वा.नि.) मध्यप्रदेश, भोपाल।

9. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल।

10. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन लघु वनोपज संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल।

11. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल। – द्वारा PCCF (M.P.)

12. समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय/क्षेत्र संचालक, प्रोजेक्ट टाइगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

13. समस्त वनमंडलाधिकारी/संचालक राष्ट्रीय उद्यान की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/4/22

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग